सं. F-18012/1/2022-Admn.I

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'A' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 25 अप्रैल, 2023

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और समकक्षी रैंक के अधिकारियों को आधिकारिक बैठकों आदि के दौरान आतिथ्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय - इसकी सीमा।

इस मंत्रालय के आदेश सं. F-21012/1/11-Admn.I दिनांक 10.10.2011 को अधिक्रमित करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और समकक्षी रैंक के अधिकारियों को आधिकारिक बैठकों आदि के दौरान दी जाने वाली आतिथ्य सुविधाओं की सीमा को निम्नानुसार बढ़ाया जाए:-

क्र.सं.	**अधिकारी की श्रेणी**	**मौजूदा मासिक सीमा (रु.)**	**संशोधित मासिक सीमा (दिनांक 01.05.2023 से प्रभावी) (रु.)**
1.	निदेशक/उप सचिव/समकक्ष पद	1200/-	1900/-
2.	अवर सचिव/समकक्ष पद	800/-	1300/-
3.	अनुभाग अधिकारी/समकक्ष पद	400/-	700/-

2. ऊपर निर्धारित मौद्रिक सीमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

i. जो अधिकारी मुख्य सचिवालय में ऋण (loan) आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने व्यय (आतिथ्य पर किए गए व्यय) की प्रतिपूर्ति उनके संबंधित कार्यालयों से प्राप्त होगी।

ii. उक्त सीमा को आगे ले जाने (carry-forward) की अनुमति नहीं होगी और/अथवा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

3. इसके अतिरिक्त, अब यह निर्णय लिया गया है कि 'प्रतिपूर्ति के लिए आतिथ्य मदों के बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत करने' की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए और इसकी जगह 'त्रैमासिक आधार पर एक स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने' की व्यवस्था लागू की जाए। पात्र अधिकारी, निर्धारित प्रोफ़ार्मा (प्रति संलग्न) के अनुसार, उपर्युक्त सीमा के भीतर, Admin-I अनुभाग में एक स्व-प्रमाण पत्र के रूप में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं; जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आधिकारिक बैठकों में आतिथ्य पर वास्तव में व्यय किया गया है।

4. यह 1 मई, 2023 से प्रभावी होगा।

5. यह आदेश एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD) कि सहमति से, Dy. No.164875/23 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से जारी किया जाता है।

संलग्नः यथोपरि।

हस्ताक्षरित
(कीर्ति गुप्ता)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 2338 4990

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी और समकक्ष अधिकारी, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ई-ऑफ़िस नोटिस बोर्ड के माध्यम से)।
3. सभी मीडिया इकाइयाँ: इस अनुरोध के साथ कि उन अन्य व्यक्तियों के आतिथ्य दावों की प्रतिपूर्ति की जाए, जो मुख्य सचिवालय में ऋण आधार पर कार्यरत हैं।
4. अनुभाग अधिकारी, नकद अनुभाग, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
5. प्रबंधक, विभागीय कैंटीन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
6. वित्त-II अनुभाग।
7. कार्यालय आदेश/संदर्भ फोल्डर।

हस्ताक्षरित
(अनुज दीक्षित)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 2338 4990